कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ललितपुर।

पत्रांकः–571/अधि0/स0सु0/गतिसीमा/2020 दिनांकः– 22.06.2020

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति परिसीमित की जाये, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह् रखवाकर या लगाकर मोटरयानों की या किसी विर्निदिष्ट वर्ण या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिसके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाऐं या न्यूनतम गति सीमाऐं नियत कर सकेगी, जो ठीक समझें।

उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 178 में वर्णित है कि किसी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर, निबंधन या सामान्यता मोटरयानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटरयानों के प्रयोग पर निबंधन या प्रतिषेध का ऐसा आदेश जैसा कि वह उचित समझें, दे सकता है, ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट, जहां से लागू होते है, सूचना पट्टों के माध्यम से प्रकाशित किए जायेगे।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्रमांक 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ललितपुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों के अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु निम्नानुसार नीचे सारणी में विर्निदिष्ट यानों के वर्ग के संबंध में अधिकतम गति नियत किया जाता है।

क0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि0मी0)	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा		
				टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों से 12 सीटों वाले यान	समस्त मालयान एवं स्तम्भ 5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्रीयान
1	2	3	4	5	6	7
1	ललितपुर–महरौनी मार्ग संख्या–30	36.64	ललितपुर से महरौनी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	महरौनी–मड़ावरा–मदनपुर मार्ग संख्या–35	46.60	महरौनी से मदनपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	ललितपुर–कैलगुवां (अन्य जिला मार्ग)	41.06	ललितपुर से कैलगुवां	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	बांसी–बार (अन्य जिला मार्ग)	10.86	बांसी से बार	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	महरौनी–बानपुर (अन्य जिला मार्ग)	14.00	महरौनी से बानपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	महरौनी–नाराहट (अन्य जिला मार्ग)	27.70	महरौनी से नाराहट	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	महरौनी–सौजना (अन्य जिला मार्ग)	18.30	महरौनी से सौजना	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	ललितपुर –देवगढ (प्रमुख जिला मार्ग)	34.00	ललितपुर से देवगढ़	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	ललितपुर–जखौरा–तालवेहट (अन्य जिला मार्ग)	37.09	ललितपुर से तालवेहट	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	ललितुपर–राजघाट (अन्य जिला मार्ग)	21.56	ललितपुर से राजघाट	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	घटवार–पाली मार्ग	16.20	N.H.–44 घटवार से पाली	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा –

(i) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर के प्रारम्भिक बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वह रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो–रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(ii) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

(अ) अग्नि शमन वाहन

(ब) एम्बुलेंस।

(स) पुलिस वाहन।

(द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।

(य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिऐ प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या का0आ0–1522 (अ), दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशा0) / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
ललितपुर।

पृष्ठांकन संख्या– 471 (1) / 2020 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, ललितपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, ललितपुर।
5. अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) उ0प्र0।
6. उप परिवहन आयुक्त आगरा (परिक्षेत्र) आगरा।
7. संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन / प्रवर्तन) झांसी।
8. मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, झांसी।
9. अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, झांसी।
10. निदेशक, छापाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड / निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ललितपुर को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबंधन संबंधी बोर्ड प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
12. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, झांसी को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्ग पर उपरोक्तानुसार गति निबंधन संबंधी बोर्ड प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशा0) / रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
ललितपुर।